न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 97/2024
जीसीएमएसनं. :— 2024/265

वादी :—
सत्यप्रकाश पुत्र उदाराम जाति माली निवासी आमलिया वाला बेरा, पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी :—
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता : दर्ज दिनांक :— 08.08. 2024
श्री पृथ्वीराज चौहान वादी की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

''आदेश'' दिनांक : 18/11/2025

वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 1236/1 क्षेत्रफल 0.1375 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 1096 व पूराना 1016 पर इन्द्राजशुदा है तथा इसी प्रकार खसरा नबंर 1236 क्षेत्रफल 5.4122 हेक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि स्थित है जो खाता संख्या नया 495 व पूराना 1016 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरों की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र उदाराम अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सत्यप्रकाश पुत्र उदाराम है। वादी के आधार कार्ड, परिचयपत्र, परिवारकार्ड, बैंक डायरी, जनआधार कार्ड, विद्युत व जल सबंध बिलों, में वादी का सही नाम सत्यप्रकाश पुत्र उदाराम अंकित है इसके अलावा ग्राम पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नबंर 1283, 1283/1, 1283/2, 1228 व ग्राम सिंधीपुरा मे स्थित भूमि खसरा नबंर 998 में वादी का सही व वास्तविक नाम सत्यप्रकाश सही अंकित हो रखा है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम सत्यनारायण अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 24.07.2024 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम सत्यनारायण पुत्र उदाराम के स्थान पर सत्यप्रकाश पुत्र उदाराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। उक्त वादपत्र वादग्रस्त आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होनें से सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। इंस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है :– वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावें कि ग्राम पीपाड़ शहर पटवारी क्षैत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी की सहखातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरानम्बर 1236/1 रकबा 0.1375 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा कृषि भूमि तथा खसरानम्बर 1236 रकबा 5.4122 हैक्टयर किस्म चाही द्वितीय भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र उदाराम के स्थान पर सत्यप्रकाश पुत्र उदाराम घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

हमने वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1236/1 रकबा 0.1375 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 1236 रकबा 5.4122 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसमें वादी का 1/40 हिस्सा जमाबंदी अनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज है तथा वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो आधार कार्ड, परिचय पत्र, जनआधारकार्ड, परिवार कार्ड, बैंक डायरी, विद्युत बिलों में वादी का नाम सत्यप्रकाश अंकित है तथा वादी के नाम से ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित अन्य भूमियां खसरा नम्बर 1283, 1283/1, 1283/2, 1228 के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सत्यप्रकाश दर्ज होना पाया गया । वादग्रस्त भूमियां में वादी का नाम सत्यप्रकाश दर्ज होना पाया गया । वादग्रस्त भूमियां में वादी का नाम गलत इन्द्राज होने से अवश्य ही वादी को सरकारी योजनओ का लाभों में कठिनाई आती है तथा बाद जांच पाया गया कि सत्यप्रकाश व सत्यनारायण दोनो नाम का एक ही व्यक्ति वादी ही हैं इसलिए वादी का नाम वादग्रस्त भूमियां के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाकर सत्यनारायण के स्थान पर सत्यप्रकाश किया जाने की अनुशंषा की जाती हैं। वादी ने वाद पत्र में जो इस्तदुआ चाही गयी है कि वादी का नाम सत्यनारायण के स्थान पर सत्यप्रकाश किया जाना उचित हैं। वादग्रस्त भूमियां के राजस्व रेकर्ड में वादी का सही नाम दर्ज करने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी, जिसमे वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओ को वादी की कृषि भूमि खसरानम्बर 1236/1 रकबा 0.1375 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा कृषि भूमि तथा खसरानम्बर 1236 रकबा 5.4122 हैक्टयर किस्म चाही द्वितीय भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र उदाराम के स्थान पर सत्यप्रकाश पुत्र उदाराम घोषित किया जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने नाम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार वादीगण का वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1236/1 रकबा 0.1375 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 1236 रकबा 5.4122 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसमें वादी का 1/40 हिस्सा जमाबंदी अनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज है तथा वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो आधार कार्ड, परिचय पत्र, जनआधारकार्ड, परिवार कार्ड, बैंक डायरी, विद्युत बिलों में वादी का नाम सत्यप्रकाश अंकित है तथा वादी के नाम से ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित अन्य भूमियां खसरा नम्बर 1283, 1283/1, 1283/2, 1228 के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सत्यप्रकाश दर्ज होना पाया गया । वादग्रस्त भूमियां में वादी का नाम सत्यप्रकाश दर्ज होना पाया गया । बाद जांच पाया गया कि सत्यप्रकाश व सत्यनारायण दोनो नाम का एक ही व्यक्ति वादी ही हैं इसलिए वादी का नाम वादग्रस्त भूमियां के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाकर सत्यनारायण के स्थान पर सत्यप्रकाश किया जाता हैं। अतः वादी के दावे, शपथ पत्र, हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी में सत्यनारायण पुत्र उदाराम के स्थान पर सत्यप्रकाश पुत्र उदाराम को दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 18/11/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)